माननीय सेवा प्रदायक:

स्तर I प्रतिपूर्ति के लिए योग्य समझे जाने के लिए, या अगर आप अपने खुद के बच्चों को परोसे भोजन के लिए अम्रीकी कृषि विभाग (USDA- यू.एस.डी.ए) के "चाइल्ड एण्ड एडल्ट केयर फूड प्रोग्राम" (CACFP) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति चाहें, तो कृपया संलग्न भोजन पाने के फार्म को भरके और इसपर हस्ताक्षर करके हमें वापस कर दें।

<u>स्तर I डे केयर घर समझे जाने की आवश्यकताएँ:</u>

आपके घर आधारित डे केयर में बच्चों के भोजन के लिए स्तर I प्रतिपूर्ति पाने हेतु योग्य समझे जाने के लिए, आपको:

- स्कूल नामंकन या सेन्सस आँकड़ों के अनुसार किसी गरीब इलाके में होने की आवश्यकता है;
  या
- भोजन पाने के फार्म द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से आर्थिक कठिनाई स्थापित करने की आवश्यकता है।

भोजन लाभ फार्म पर आप द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर हमारा कार्यालय निश्चित करेगा कि आपको स्तर I डे केयर समझा जा सकता है या नहीं। व्यक्तिगत आर्थिक कठिनाई के आधार पर स्तर I प्रतिपूर्ति पाने योग्य समझे जाने के लिए आपको:

- भोजन पाने के फार्म को पूरी तरह से भरने के बाद हस्ताक्षर करके हमें लौटाना होगा;
- परिवार की समस्त आमदनी के बारे में जानकारी देनी होगी, केवल आपके घर आधारित डे केयर व्यापार की आमदनी नहीं;
- अपनी आमदनी के बारे में पर्याप्त कागज़ात दर्ज करना होगा ताकि व्यक्तिगत आर्थिक कठिनाई हेतु आपकी योग्यता निश्चित की जा सके; और
- भाग #5 के रिक्त स्थान पर निशान लगाकर यह दर्शाना होगा कि आप एक घर आधारित डे केयर प्रदायक हैं जो स्तर I प्रतिपूर्ति का निवेदन कर रहा है।

कृपया ध्यान दें कि भोजन पाने के फार्म पर बताई गई आमदनी सम्बन्धित सूचनाओं की हमें कानूनन पुष्टि करने की आवश्यकता है। कृपया अपने भरे हुए भोजन पाने के फार्म के साथ-साथ आमदनी सम्बन्धित दस्तावेज़ भी भेजें। अगर पिछले साल आपने अपने घर से डे केयर सेवा प्रदान की थी, तो शेडयूल C सहित अपना पिछला आय-कर फार्म भी भेजें। आमदनी सम्बन्धित दस्तावेज़ों मे निम्न सम्मिलित हो सकते हैं:

- पगार के काम के लिए आपके परिवार के सदस्यों, और पति/पत्नी को जो अदायगी रसीद मिली हों;
- सबसे हाल का आय-कर फार्म जिसमें आपकी सही आय प्रस्तुत हो;
- परिवार के अन्य सदस्यों को अन्य प्रकार के काम के लिए जो कोई अदायगी रदीद मिली हों; या
- पिछले महीने में आपकी कुल पारिवारिक आय का सबूत, और इसके साथ उस महीने के लिए आपके खर्च की सूची।

<u>अपने बच्चों को परोसे गए भोजन की प्रतिपूर्ति के लिए योग्यता निश्चित करना:</u>

अगर आप अपने खुद के बच्चों को परोसे गए भोजन की प्रतिपूर्ति चाहते हैं तो आपको भोजन पाने का फार्म भरके सही करना होगा। यद्यपि आप किसी गरीब इलाके में रहते हों, CACFP नियमों के अनुसार अगर आप अपने बच्चों को परोसे गए भोजन हेतु प्रतिपूर्ति चाहिये तो आपको फिर भी यह फार्म भरना होगा। यह संभव है कि हमारा कार्यालय आप द्वारा दी गई आमदनी सूचना की पुष्टि करे, लेकिन इस परिस्थिति में ऐसा करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इस हालात में आमदनी सम्बन्धित दस्तावेज़ दर्ज मत करें जब तक कि हम खास तौर से आपको ऐसा करने को न कहें।

अगर आप किसी गरीब माने गए इलाके में न रहते हों, और आपने यह फार्म भरना न चाहा, तो आपको मुफ़्त या कम दाम पर भोजन नहीं मिलेगा, और आपके घर आधारित डे केयर में बच्चों को जो भोजन परोसा जाता है, उसके लिए आपको कुछ कम, यानी स्तर II के हिसाब से प्रतिपूर्ति मिलेगी। ध्यान रखें कि अगर आपके घर आधारित डे केयर को पहले से ही स्तर I में वर्गीकृत कर दिया गया हो चूँकि आपका घर किसी गरीब इलाके में है, तो आपको यह फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप अपने खुद के बच्चों को परोसे गए भोजन के लिए प्रतिपूर्ति न चाहें। कृपया अपनी समर्थक संस्था से सम्पर्क करें अगर आपको मालूम करना हो कि आप किसी आर्थिक कठिनाई के इलाके में रहते हैं या नहीं।

<u>सभी परिवारों हेतु:</u>

USDA के अनुसार परिवार या गृहस्थी की परिभाषा यूँ है - रिश्तेदारों या बिना रिश्ता रखने वाले लोगों का कोई समूह (किसी संस्था या होटल जैसे जगह के निवासी नहीं) जो कि एक आर्थिक इकाई बनकर रह रहा है (यानी साथ मिलकर रोज़ी-रोटी कमा और बाँट रहे हैं)। तदपश्चात्, भोजन पाने के फार्म पर बताई गई आमदनी में आपके परिवार के हर सदस्य की आय और इसका स्रोत सम्मिलित होना चाहिये।

फार्म पर बतायी गयी **आमदनी** में आपके परिवार के हर सदस्य के पिछले महीने की कुल आय, स्रोत सहित, प्रस्तुत होना चाहिये। यदि आपको लगे कि पिछले महीने की आमदनी आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक से प्रतिबिंबित नहीं करती, तो आप अपनी मानसिक आमदनी का अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ हो, तो आप पिछले महीने की आमदनी के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। संलग्न आय-चार्ट पर आपके परिवार की संख्या के हिसाब से जो आमदनी बताई गई है, उसके मुकाबले में अगर आपकी आमदनी कम है या इसके बराबर है, तो आपके बच्चे को परोसे गए भोजन के लिए केन्द्र को अधिक पैसे वापस मिल सकते हैं।

अगर साल के दौरान आपकी आमदनी बढ़ जाए तो आपको हमें इस बारे में सूचित करना आवश्यक है। अगर आपके परिवार की संख्या घट जाए, या आपकी आमदनी $50/महीना, यानी $600/वर्ष से अधिक बढ़ जाए, तो आपको हमें सूचित करना आवश्यक है। अगर आपने फार्म पर अपने फूड स्टैम्प, गरीब परिवारों हेतु अल्पकालिक सहायता (TANF), या मूल अम्रीका निवासी इलाकों में भोजन वितरण कार्यक्रम (FDPIR) का केस नम्बर दिया है, और इसके बाद ये लाभ बंद हो जाएँ, तो आपको हमें सूचित करना आवश्यक है। साथ-साथ, अगर आप बेरोज़गार बन जाएँ, और बेरोज़गारी के समय आपकी आय कम हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी पारिवारिक आमदनी अब इस कार्यक्रम हेतु उयुक्त मानी जाए।

<u>भोजन पाने के फार्म में बताई गई सूचनाओं की गोपनीयता:</u>

इस फार्म पर बताई गई सूचनाओं के आधार पर हम यह निश्चित करेंगे कि आपके घर आधारित डे केयर प्रदायक या बाल सेवा केन्द्र को किस हिसाब से पैसे वापस दिये जा सकते हैं। यह संभव है कि हम शिशु आहार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा कार्यक्रमों के अन्य अधिकारियों को आपके फार्म पर प्रस्तुत सूचनाएँ प्रेषित करें ताकि इनके अंतर्गत भी आपको लाभ या भत्ते मिल सकें।

<u>कार्यक्रम में विभेदन की मनाही:</u>

अम्रीकी कृषि विभाग (USDA) के अनुसार, विभाग के किसी भी कार्यक्रम या क्रिया में जाति, रंग, राष्ट्रीय उत्पत्ति, लिंग, उम्र या अशक्तता के आधार पर विभेदन करना हर्गिज़ निषेध है। अशक्त लोगों को, जिन्हें कार्यक्रम सूचना संचार हेतु अन्य माध्यम की आवश्यकता हो (जैसे कि ब्रेल, बड़े अक्षरों की लिपि, आडियोटेप आदि) उन्हें USDA के टार्गेट केन्द्र से (202) 720-2600 (ध्वनि तथा टी.डी.डी) सम्पर्क करना चाहिये।

विभेदन आधारित शिकायत दर्ज़ करने के लिए निम्न से सम्पर्क करें: USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, S.W., Washington D.C. 20250-9410 या (202) 720-5964 (ध्वनि तथा टी.डी.डी) पर USDA से सम्पर्क करें। यू.एस.डी.ए एकसमान मौके का प्रदायक और नियोक्ता है।

आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यबाद।

आपका,

____

संस्था प्रतिनिधि के हस्ताक्षर   तिथि